# फर्द अहकाम

श्रीमति राजेश माथूर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

/2025 473/25

| ...ांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| ..2025 | प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम रामपुराऊंती, पटवार हल्का रामपुराऊंती, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 237 के खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.3900 है0, खसरा नम्बर 1015/1978 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.2400 है0 खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.8800 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5600 है0 में प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है और इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी में अंकित है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड संवत 2070–2073 में प्रार्थीया का नाम श्रीमति राजेश माथूर पत्नी ओ. पी. माथूर अंकित है जिसे हाल जमाबन्दी में श्री मतिराजेश माथूर पत्नी ओ.पी.माथूर अंकित कर दिया गया जो एक लिपिकीय श्रुटि है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन कि उक्त खसरा नम्बरान 1015, 1015/1978, 1016, 1018 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5600 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम श्री मतिराजेश माथूर पत्नी ओ.पी.माथूर के स्थान पर श्रीमति राजेश माथूर पत्नी ओ. पी. माथूर दुरूस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करावे<br><br>बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण का नाम सम्पूर्ण दस्तोजात में प्रार्थीया का नाम श्रीमति राजेश माथूर पत्नी ओ. पी. माथूर है जबकि हाल जमाबन्दी में श्री मतिराजेश माथूर पत्नी ओ.पी.माथूर अंकित हो गया है जो सहवन से हुआ है। और एक लिपिकीय श्रुटि है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर उपतहसीलदार बगरू को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम रामपुराऊंती, पटवार हल्का रामपुराऊंती, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 237 के खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.3900 है0, खसरा नम्बर 1015/1978 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.2400 है0 खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.8800 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5600 है0 में प्रार्थीया का नाम श्री मतिराजेश माथूर पत्नी ओ.पी.माथूर के स्थान पर श्रीमति राजेश माथूर पत्नी ओ. पी. माथूर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करें। आदेश की पालना हेतु उपतहसीलदार बगरू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |